राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur @gmail.com

क्रमांकः–सा.प्र./2025/ दिनांकः

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि छात्र नेताओं व उनके सहयोगियों द्वारा पोस्टर, पम्पलैट, हैण्डबिल, होर्डिंग, बैनर आदि लगाकर एवं स्याही/चॉक/किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से लिखकर विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार, परिसर में लगे साईन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, विद्युत पोल एवं संघटक महाविद्यालयों/कार्यालयों के भवनों की दीवारों को बार–बार विरूपित किया जाता है, जिससे विश्वविद्यालय की सुन्दरता हेतु किए गए कार्यों में न केवल बाधा आती है बल्कि इन्हें बार–बार हटवाने में विश्वविद्यालय के संसाधनों पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है और विश्वविद्यालय की सौन्दर्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त कृत्यों को रोकने हेतु राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 एवं राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के नियमानुसार किसी भी भवन, स्मारक, झोपड़ी, मूर्ति, जल पाईप लाईन, लोक सड़क, साईन बोर्ड, विद्युत पोल, संरचना आदि पर पतंगों व लोहे, प्लास्टिक, गत्ते की शीट पर अवैध विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, पम्पलैट, होर्डिंग आदि लगाने एवं स्याही/चॉक/किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से लिखकर सम्पत्ति को विरूपित करने वाले व्यक्तियों या इस कृत्य में सहयोग करने वाले व्यक्तियों पर प्रथम बार DEFACEMENT के अपराध की दशा में 5,000/– रूपये तक का जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है। दूसरी बार अपराध की दशा में 10,000/– रूपये तक का जुर्माना या दो वर्ष तक कारावास या दोनों सजा हो सकती है।

अतः राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, संघटक महाविद्यालयों, छात्रावासों, विभागों व कार्यालयों के भवनों की दीवारों एवं परिसर में लगे साईन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, विद्युत पोल आदि पर पोस्टर, पम्पलैट, हैण्डबिल, होर्डिंग, बैनर आदि लगाने एवं स्याही/चॉक/किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से लिखने पर सम्बन्धित छात्र/व्यक्ति/संस्था व संगठनों के खिलाफ पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जावेगी। यह एफ.आई.आर. विश्वविद्यालय अधिष्ठाता व सह–अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/विश्वविद्यालय मुख्य कुलानुशासक व सह–कुलानुशासक में से कोई भी दर्ज करा सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

–Sd–

कुलसचिव

क्रमांकः सा.प्र./2025/6778-848 दिनांकः 28/1/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अधिष्ठाता/प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी अधिकारी/ इकाई प्रभारी, समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयाँ, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ परिसर से पोस्टर–बैनर इत्यादि हटवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. वित्त नियंत्रक एंव वित्तीय सलाहकार/मुख्य कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक/जनसंपर्क अधिकारी/विश्वविद्यालय अभियंता, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. मैसर्स, दीपक एण्टर प्राइजेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालयों में लगे हुए पोस्टर–बैनर हटवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

28/01/25

उप कुलसचिव

(सामान्य प्रशासन)